culties. These industrial plants, the main ones being the Trombay fertilizer plant of Rashtriya Chemicals and Fertilizers, the Tata Electric Company, the Maharashtra State Electricity Board (MSEB) and the refinery of Hindustan Petroleum Corporation, had been identified as potential major users in studies conducted in the past in order to take advance action in this matter.

Some quantity of associated gas is still being flared offshore but users for this had also been identified earlier and their facilities, which required very large investments, are nearing completion; the main ones are the new large fertilizer plants in Thal Vashet; the smaller fertilizer plant of Deepak Fertilizers and the new 500 MW power station of the Tata Electric Company. With the completion of these facilities in the next few months, even the greatly reduced flaring that is taking place offshore will cease shortly.

Further major users, as follows, have also been identified to utilise the associated gas to be produced optimally as well as consume any further increases in the quantity that might take place in this oilfield which is still under development so that the precise quantity of associated gas that might be produced along with crude oil cannot be foretold accurately at this stage.

—manufacture of fertilizers in Hazira which is scheduled for completion in early 1984;

—firing in heaters and furnaces together with combined cycle power-steam generation in refineries;

—supply to Hindustan Organic Chemicals for the production of hydrogen;

—supplies to certain major cities;

—MSEB second stage 4 x 60 MW units.

The existing and the creation of new outlets indicated above will enable the full use of the gas available even if there is some delay in offtake oy a few customers.

Target for Production of Fertilizers

283. SHRI SUBHASH CHANDRA BOSE ALLURI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) what was the target of production of fertilizers in the country for the year 1981-82;

(b) whether the target of production of fertilizers for 1981-82 has been fully achieved; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI VASANT SATHE): (a) and (b). The target and actual production of fertilizers in 1981-82 was as follows:—

	Target	*Actual production*
		(In lakh tonnes)
Nitrogen	32.00	31·44
P_2O_5	9·25	9·49

(c) while the production of P_2O_5 exceeded the target, the production of nitrogen fell marginally short of the target. This shortfall was mainly due to the delay in commissioning of new plants.

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों की नियुक्ति

284. श्री हरीश रावत :
श्री संतोष मोहन देव :
श्री आर० पी० गायकवाड :
श्री भीखा भाई :
श्री के० लकप्पा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बारे में एक नीति निर्णय लिया है कि उच्च न्यायालय

का मुख्य न्यायाधीश सम्बन्धित राज्य से बाहर का होगा; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है और उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में यह नीति निर्णय कब तक लागू होगा।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख). सरकार ने यह घोषणा 28-1-1983 को की है कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से होंगे। इस नीति की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

यह बताना संभव नहीं है कि इस नीति को सभी उच्च न्यायालयों में कब तक क्रियान्वित किया जाएगा।

विवरण

जिम्मेदार निकायों से बार-बार मांग किए जाने के परिणामस्वरूप, सरकार ने इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विचार करके और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके यह नीति अपनाने का विनिश्चय किया है कि सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति बाहर से होंगे और इस नीति को क्रियान्वित करते समय कुछ व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्तों को ध्यान में रखा जाएगा। ये मार्ग दर्शक सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:—

(i) मुख्य न्यायमूर्तियों के रूप में उन्नत किए जाने के प्रयोजन के लिए अवर न्यायाधीशों की परस्पर ज्येष्ठता की गणना उनके स्वयं के उच्च न्यायालय में उनकी ज्येष्ठता के आधार पर की जाएगी और उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, उनको अन्य उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्तियों के रूप में उनकी नियुक्ति किए जाने के लिए तब विचार किया जाएगा जब उनके अपने उच्च न्यायालय में ऐसी नियुक्ति के लिए सामान्य रूप से उनकी बारी आ जाती।

(ii) किसी मुख्य न्यायमूर्ति को, जिसे केवल एक वर्ष या इससे कम समय में सेवानिवृत्त होना है, अन्य उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा।

(iii) किसी उच्च न्यायालय में किसी ऐसे अवर न्यायाधीश के बारे में जिसे, उस समय जब मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में उन्नत किए जाने के लिए उसकी बारी आती है, एक वर्ष या इससे कम समय में सेवानिवृत्त होना है, उपयुक्तता के अधीन रहते हुए, यदि उस अवधि के दौरान उस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो जाता है, तो उसके स्वयं के न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

2. उपर्युक्त नीति की क्रियान्वित करते समय, नियुक्तियां / स्थानान्तरण, यथा-स्थिति, संविधान के अनुच्छेद 217 या अनुच्छेद 222 के उपबन्धों के अनुसार की जाएंगी / किए जाएंगे।

Shortage of Electricity in Bihar

285. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the continued acute shortage of elec-